

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री सर्वेश्वर निम्बार्क, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-83/2022

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
मुकनाराम पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी साईयों की ढाणी, होडू तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1. अचलाराम पुत्र दुर्गाराम 2. वेहनाराम पुत्र दुर्गाराम 3. हरखाराम पुत्र दुर्गाराम 4. हीराराम पुत्र दुर्गाराम 5. गुमनाराम पुत्र खेताराम 6. चुतराराम पुत्र आसूराम 7. मंगलाराम पुत्र आसूराम 8. सिणगारी पत्नि आसूराम 9. चुनी पत्नि निम्बाराम 10. पूनमाराम पुत्र निम्बाराम 11. पूराराम पुत्र निम्बाराम 12. जगूराम पुत्र शेराराम 13. जीयाराम पुत्र शेराराम 14. हरजीराम पुत्र खेताराम 15. हीरोंदेवी पत्नि दुर्गाराम जाति जाट निवासी साईयों की ढाणी, होडू तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
		16. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक— 11.03.2026

संक्षिप्त में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि मौजा— साईयों की ढाणी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में खसरा नम्बर 412 रकबा 0.0405 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 416 रकबा 18.4857 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 473 रकबा 0.9870 हेक्टेयर व मौजा जोगासर पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी जिला बालोतरा मे खसरा नम्बर 577 रकबा 4.7246 हेक्टेयर

सहायक कलक्टर
सिणधरी


या मौजा पोटलियों की ढाणी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में खसरा नम्बर 1912 रकबा 8.2033 हेक्टेयर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 12.11.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काशत अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार सिणधरी द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादी वकील की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा- साईयों की ढाणी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में खसरा नम्बर 412 रकबा 0.0405 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 416 रकबा 18.4857 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 473 रकबा 0.9870 हेक्टेयर व मौजा जोगासर पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में खसरा नम्बर 577 रकबा 4.7246 हेक्टेयर तथा मौजा पोटलियों की ढाणी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में खसरा नम्बर 1912 रकबा 8.2033 हेक्टेयर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।


कं. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	खसरा नं.	रकबा (हेक्ट. में)	किस्म भूमि	लगान (रु०)	बरंग
1.	मुकनाराम पुत्र शेराराम जाति जाट सा. देह	साईयों की ढाणी	416	2.4230	बा.सोयम	0.12	हरा
		जोगासर	577	0.5906	बा.सोयम	0.03	
		पोटलियों की ढाणी	1912	1.0254	बा.दोयम	0.06	
		योग	03	4.0390	—		
2.	अचलाराम पुत्र दुर्गाराम हि. 1/28 गुमनाराम पुत्र खेताराम हि. 1/7 चुतराराम पुत्र आसूराम हि. 1/21 चूनी पत्नि निम्बाराम हि. 1/21 जगुराम पुत्र शेराराम हि. 1/7 जीयाराम पुत्र शेराराम हि. 1/7 पूनमाराम पुत्र नीम्बाराम हि. 1/21 पूराराम पुत्र नीम्बाराम हि. 1/21 मंगलाराम पुत्र आसूराम हि. 1/21 वेहनाराम पुत्र दुर्गाराम हि. 1/28 सिणगारी पत्नि आसूराम हि. 1/21 हरखाराम पुत्र दुर्गाराम हि. 1/28 हरजीराम पुत्र खेताराम हि. 1/7 हीराराम पुत्र दुर्गाराम हि. 1/28 जाति जाट सा. देह	साईयों की ढाणी	412	0.0405	गै.मु.लाटा	—	पीला
			416	15.9333	बा.सोयम	0.79	
			473	0.9870	बा.दोयम	0.06	
		योग	03	16.9608	—		
		जोगासर	577	4.1340	बा.सोयम	0.21	

अचलाराम पुत्र दुर्गाराम हि. 1/35 गुमनाराम पुत्र खेताराम हि. 1/7 चुतराराम पुत्र आसूराम हि. 1/21 चूनी पत्नि नीम्बाराम हि. 1/21 जगूराम पुत्र शेराराम हि. 1/7 जीयाराम पुत्र शेराराम हि. 1/7 पूनमाराम पुत्र निम्बाराम हि. 1/21 पूराराम पुत्र निम्बाराम हि. 1/21 मंगलाराम पुत्र आसूराम हि. 1/21 वेहनाराम पुत्र दुर्गाराम हि. 1/35 सिणगारी पत्नि आसूराम हि. 1/21 हरखाराम पुत्र दुर्गाराम हि. 1/35 हरजीराम पुत्र खेताराम हि. 1/7 हीराराम पुत्र दुर्गाराम हि. 1/35 हीरों पत्नि दुर्गाराम हि. 1/35 जाति जाट सा. देह	पोटलियों की ढाणी	1912	7.1779	बा. दायम	0.43	पीला
4. राजस्थान सरकार	सांईयों की ढाणी	416	0.1052	गै.मु.रास्ता	—	केसरिया

तहसीलदार,सिणधरी को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा । डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना —अपना वहन करें।


**सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी**

निर्णय आज दिनांक 11.03.2026 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।


**सहायक कलक्टर
एस.डी.ओ.)सिणधरी**